20-11-19

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 व 131 भू. राजस्व
अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया
कि प्रार्थीगण 01 से 04 तक की शामिल खातेदारी
शुदा कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 171 रकबा
13.00 बीघा वाके ग्राम भाकरासनी पं.स. गुड़ा
विश्नोईयान में आई हुई है। उक्त कृषि भूमि की
खातेदारी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज
है तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की
हुई नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 171 एवं
उसके तमाम उप खसरा नम्बर की तरमीम एवं
खसरा नम्बर 171 व उसके उप खसरा नम्बर की
मध्य मार्ग जो मूल खसरा नम्बर 171 को दो भागो
में विभक्त करता है जिससे इस खसरे का पूर्वी 1/2

रा.मु.जो.

Scanned by CamScanner

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम लूनी

रतनाराम बनाम गंगाराम

111, 128, 131 नं. 31/2016 सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दक्षिणी व पश्चिमी 1/2 हिस्से के रूप में विभाजन करती हुई रेखा जोकि उत्तर-दक्षिण की ओर चलती है, पर पत्थरगढ़ी, कार सीमांकन करवाये जाने का आदेश किये जाने का निवेदन किया। इस पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण के अभिकथनानुसार खसरा नं. 171 की भूमि की तरमीम नहीं हो रखी है इसलिये तरमीम न होने तक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रिमेच्योर है तथा प्रथमतः प्रार्थीगण को तहसीलदार लूणी द्वारा तरमीम करवायी जाकर सीमांकन की पैमाईश करवायी जावे। इस पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्थिति स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 171 की भूमि की तरमीम न होने का अभिकथन है तथा तरमीम करने बाबत ही है, इस्तदुआ प्रार्थीगण की तरमीम करने बाबत ही है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि की तरमीम होने के बाद ही पत्थरगढ़ी की स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति में प्रथमतः तरमीम किया जाना आवश्यक है। इन तमाम परिस्थितियों में प्रार्थीगण का उपरोक्त प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर निर्णित किया जाता है कि प्रार्थीगण तहसीलदार लूनी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नं. 171 की तरमीम तथा सीमांकन करवावे। सीमांकन बाबत विवाद होने की दशा में पुनः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पेश करने हेतु स्वतन्त्र रहेगा। प्रार्थना पत्र निरस्त कर पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।	

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.